

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला-अजमेर

राजस्व वाद संख्या 129/2010

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – लोटियाना

श्री रामेश्वरसिंह पुत्र श्री हजारी जी जाति रावत निवासी ग्राम लोटियाना हाल ईसरमंड जिला राजसमंद राज0

.....वादी

बनाम

- 1- श्री सेसूसिंह पुत्र श्री नाथूसिंह रावत
- 2- श्री पूरणसिंह पुत्र श्री मोटसिंह रावत
- 3- श्रीमति हंजा पत्नि श्री मोटसिंह रावत
- 4- श्रीमति नैनू पुत्री श्री मूला जी रावत
- 5- श्रीमति कंकू पुत्री श्री मूला जी रावत
- 6- श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री रामसिंह रावत
- 7- श्री नारायणसिंह पुत्र श्री रामसिंह रावत
- 8- श्री हरीसिंह पुत्र श्री रामसिंह रावत
- 9- श्रीमति मीरा पुत्री श्री रामसिंह रावत
- 10- श्रीमति इन्द्रा पुत्री श्री रामसिंह रावत
- 11- श्रीमति गैनी पत्नि श्री रामसिंह रावत
- 12- श्रीमति पिस्तादेवी पत्नि श्री मदनलाल जाति प्रजापत  
सभी निवासीयान ग्राम लोटियाना पटवार हल्का लोटियाना तहसील ब्यावर
- 13- राज्य सरकार बजरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, ब्यावर तहसील परिसर, ब्यावर
- 14- श्री कुशालसिंह पुत्र रामेश्वरसिंह रावत निवासी लोटियाना तहसील ब्यावर  
-----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अंतिम निर्णय

दिनांक 29.05.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट लोटियाना में पेश हुआ। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2017 को निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारित की गई। जिसके तहत तहसीलदार ब्यावर ने डिक्री की अनुपालना में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 29.05.2018 को कैम्प कोर्ट लोटियाना में प्रस्तुत किया गया।

पेरोकार सरकार उपस्थित। मजमें आम में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यथाप्रस्ताव बंटवारा की डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित है। अतः यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार मौजा लोटियाना पटवार हल्का लोटियाना तहसील ब्यावर जिला-अजमेर स्थित खसरा संख्या 190/1 रकबा 00-05-10, 345/2 रकबा 00-01-18, 361/3 रकबा 00-00-07, 369/1 रकबा 00-04-10, 592/1 रकबा 00-04-09, 2362/349 रकबा 00-01-00 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 00-17-14 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में आसमानी रंग से दर्शाया गया है, को प्रतिवादी संख्या 1 सेसूसिंह वल्द नाथूसिंह के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 190/2 रकबा 00-05-10, 345/3 रकबा 00-01-17, 361/4 रकबा 00-00-07, 369/2 रकबा 00-04-10, 406/1 रकबा 00-03-00, 592/2 रकबा 00-02-18 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 00-18-02 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है, को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 पूरणसिंह वल्द मोटसिंह, हंजा स्व. मोटसिंह के हिस्से में संयुक्त रूप से रखे जाने तथा खसरा संख्या 189 रकबा 0-11-00, 348 रकबा 00-01-00, 367 रकबा 00-07-10, 593 रकबा 00-15-00, 406/2 रकबा 00-03-00 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 01-17-10 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया है, को प्रतिवादी संख्या 6 से 11 तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 लक्ष्मणसिंह नारायणसिंह हरिसिंह पि. रामसिंह मीरा इन्द्रा पुत्रियां रामसिंह गैनी बेवा रामसिंह

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर  
ब्यावर



हि.2 नैनू कंकू पुत्रियां मूला हि.1 संयुक्त रूप से रखे जाने तथा खसरा संख्या 596 रकबा 00-09-10, 361/2 रकबा 00-00-08, 368 रकबा 00-09-00 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 00-18-18 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दर्शाया गया है, को मोहनसिंह वल्द मकानसिंह कौम रावत सा. बिच्छी का तालाब के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 206 रकबा 00-11-10, 345/1 रकबा 00-03-15, 361/1 रकबा 00-00-08, 362 रकबा 00-04-00, 365 रकबा 00-05-10, 594 रकबा 00-07-00, 595 रकबा 00-08-00 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 02-00-03 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है, को रामेश्वरसिंह वल्द हजारी सिंह कौम रावत निवासी लोटियाना हाल ईसरमण्ड जिला राजसमन्द के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 592/3 रकबा 00-09-13, 403/1 रकबा 00-06-08, 406/4 रकबा 00-03-00 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 00-19-01 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हल्के नीले रंग से दर्शाया गया है, को प्रतिवादी संख्या 12 पिस्तादेवी पत्नि मदनलाल कौम प्रजापत सा. देह खातेदार के हिस्से में तथा खसरा संख्या 410/1 रकबा 00-00-09 किस्म गैर चाह सेसूसिंह वल्द नाथूसिंह नाबा. बसरबराही मोटसिंह काका खुद व पूरणसिंह वल्द मोटसिंह व मु. हंजा बेवा मोटसिंह ब.हि.ब.1/3 लक्ष्मणसिंह नारायण सिंह हरिसिंह पि. रामसिंह मीरा इन्द्रा पुत्रियां रामसिंह गेनी बेवा रामसिंह हि. 2/9 नैनू कंकू पुत्रियां मूला हि.1/9 भगवानसिंह टिकल पि. कुशालसिंह डिम्पल मीना मुन्नी पुत्रियां कुशाल सिंह देवी पत्नि स्व. कुशाल सिंह हि.1/6 पार्वती पत्नि पूरणसिंह 1/6 हि. कौम रावत सा. देह खातेदार के हिस्से में संयुक्त रूप से रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार ब्यावर को यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम करने एवं लगान कायम करने तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 व 14 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है कि वे वादी के हिस्से में आई भूमियों में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट लोटियाना में खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर  
(सुखराम खाखर)  
ब्यावर

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, ब्यावर

अंतिम डिग्री मुकदमा इब्तदाई  
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर  
व अजलाम सुखराम खोखर आर. ए. एस.

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – लोटियाना

राजस्व वाद संख्या 129/2010

श्री रामेश्वरसिंह पुत्र श्री हजारी जी जाति रावत निवासी ग्राम लोटियाना हाल ईसरमंड जिला  
राजसमंद राज0

.....वादी

बनाम

- 1- श्री सेसूसिंह पुत्र श्री नाथूसिंह रावत
- 2- श्री पूरणसिंह पुत्र श्री मोटसिंह रावत
- 3- श्रीमति हंजा पत्नि श्री मोटसिंह रावत
- 4- श्रीमति नैनू पुत्री श्री मूला जी रावत
- 5- श्रीमति कंकू पुत्री श्री मूला जी रावत
- 6- श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री रामसिंह रावत
- 7- श्री नारायणसिंह पुत्र श्री रामसिंह रावत
- 8- श्री हरीसिंह पुत्र श्री रामसिंह रावत
- 9- श्रीमति मीरा पुत्री श्री रामसिंह रावत
- 10- श्रीमति इन्द्रा पुत्री श्री रामसिंह रावत
- 11- श्रीमति गैनी पत्नि श्री रामसिंह रावत
- 12- श्रीमति पिस्तादेवी पत्नि श्री मदनलाल जाति प्रजापत  
सभी निवासीयान ग्राम लोटियाना पटवार हल्का लोटियाना तहसील ब्यावर
- 13- राज्य सरकार बजरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, ब्यावर तहसील परिसर, ब्यावर
- 14- श्री कुशालसिंह पुत्र रामेश्वरसिंह रावत निवासी लोटियाना तहसील ब्यावर

-----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी - श्री मांगीलाल कलवार

अधिवक्ता प्रतिवादी सं.1से3 - श्री नन्द किशोर मिश्रा

अधिवक्ता प्रतिवादी सं.8से10 - परोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर


मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :- 129/2010

निर्णय/डिक्री दिनांक :- 29.05.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट लोटियाना में पेश हुआ। परोकार सरकार उपस्थित। मजमें आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.05.2018 को सुखराम खोखर (आ.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट लोटियाना में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि -

मजमें आम में रूबरू मोतबिरान पूछताछ एवं बंटवारा प्रस्ताव अनुसार यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार मौजा लोटियाना पटवार हल्का लोटियाना तहसील ब्यावर जिला-अजमेर स्थित खसरा संख्या 190/1 रकबा 00-05-10, 345/2 रकबा 00-01-18, 361/3 रकबा 00-00-07, 369/1 रकबा 00-04-10, 592/1 रकबा 00-04-09, 2362/349 रकबा 00-01-00 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 00-17-14 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में आसमानी रंग से दर्शाया गया है, को प्रतिवादी संख्या 1 सेसूसिंह वल्द नाथूसिंह के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 190/2 रकबा 00-05-10, 345/3 रकबा 00-01-17, 361/4 रकबा 00-00-07, 369/2 रकबा

.....लगातार

  
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर  
ब्यावर



अंतिम डिग्री मुकदमा इन्दादाई  
श्री रामेश्वरसिंह बनाम श्री सेसुसिंह व अन्य  
राजस्व वाद संख्या 129/2010

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प - लोटियाना

राजस्व लोक अदालत अभियान  
"न्याय आपके द्वार-2018"

00-04-10, 406/1 रकबा 00-03-00, 592/2 रकबा 00-02-18 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 00-18-02 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है, को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 पूरणसिंह वल्द मोटसिंह, हंजा स्व. मोटसिंह के हिस्से में संयुक्त रूप से रखे जाने तथा खसरा संख्या 189 रकबा 0-11-00, 348 रकबा 00-01-00, 367 रकबा 00-07-10, 593 रकबा 00-15-00, 406/2 रकबा 00-03-00 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 01-17-10 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया है, को प्रतिवादी संख्या 6 से 11 तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 लक्ष्मणसिंह नारायणसिंह हरिसिंह पि. रामसिंह मीरा इन्द्रा पुत्रियां रामसिंह गेनी बेवा रामसिंह हि.2 नैनू कंकू पुत्रियां मूला हि.1 संयुक्त रूप से रखे जाने तथा खसरा संख्या 596 रकबा 00-09-10, 361/2 रकबा 00-00-08, 368 रकबा 00-09-00 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 00-18-18 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दर्शाया गया है, को मोहनसिंह वल्द मकानसिंह कौम रावत सा. बिच्छी का तालाब के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 206 रकबा 00-11-10, 345/1 रकबा 00-03-15, 361/1 रकबा 00-00-08, 362 रकबा 00-04-00, 365 रकबा 00-05-10, 594 रकबा 00-07-00, 595 रकबा 00-08-00 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 02-00-03 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है, को रामेश्वरसिंह वल्द हजारी सिंह कौम रावत निवासी लोटियाना हाल ईसरमण्ड जिला राजसमन्द के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 592/3 रकबा 00-09-13, 403/1 रकबा 00-06-08, 406/4 रकबा 00-03-00 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 00-19-01 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हल्के नीले रंग से दर्शाया गया है, को प्रतिवादी संख्या 12 पिस्तादेवी पत्नि मदनलाल कौम प्रजापत सा. देह खातेदार के हिस्से में तथा खसरा संख्या 410/1 रकबा 00-00-09 किस्म गैर चाह सेसूसिंह वल्द नाथूसिंह नाबा. बसरबराही मोटसिंह काका खुद व पूरणसिंह वल्द मोटसिंह व मु. हंजा बेवा मोटसिंह ब.हि.ब.1/3 लक्ष्मणसिंह नारायण सिंह हरिसिंह पि. रामसिंह मीरा इन्द्रा पुत्रियां रामसिंह गेनी बेवा रामसिंह हि. 2/9 नैनू कंकू पुत्रियां मूला हि.1/9 भगवानसिंह टिकल पि. कुशालसिंह डिम्पल मीना मुन्नी पुत्रियां कुशाल सिंह देवी पत्नि स्व. कुशाल सिंह हि.1/6 पार्वती पत्नि पूरणसिंह 1/6 हि. कौम रावत सा. देह खातेदार के हिस्से में संयुक्त रूप से रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार ब्यावर को यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम करने एवं लगान कायम करने तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 व 14 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है कि वे वादी के हिस्से में आई भूमियों में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आज तारीख 29.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(सखराम खोखर)  
उपखण्ड अधि एवं सहायक कलक्टर  
आर०ए०एस०  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, ब्यावर

	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील		
जोड़		जोड़



(सखराम खोखर)  
उपखण्ड अधि एवं सहायक कलक्टर  
आर०ए०एस०  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, ब्यावर